रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032023-244435
CG-DL-E-16032023-244435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2023/फाल्गुन 25, 1944
No. 156] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2023/PHALGUNA 25, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023

सा.का.नि. 195(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उप धारा (2) के खंड (क) साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा खंड (अधीनस्थ रैंक) समूह 'ख' और 'ग' के भर्ती नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा खंड (अधीनस्थ रैंक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2023 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा स्कंध में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद से संबंधित कम संख्या 11 (अधीनस्थ रैंक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 में, अनुसूची में :–

(i) स्तंभ (7) में, प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"टिप्पण 1: वाहय अग्निवीरों के प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

"टिप्पण 2: वाहय अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा तीन वर्ष तक की शिथिलनीय होगी।

(ii) स्तंभ (8) में, टिप्पण 2 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पणियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"टिप्पण 3: वाहय अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट प्राप्त होगी।

(iii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पणी को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"टिप्पण : रिक्तियों का दस प्रतिशत वाहय अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा।

[फा. सं. ई–32012/02/2022/स्था. I]

पौसुमी बासु, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 946(अ), तारीख 01 दिसम्बर 2010, द्वारा प्रकाशित किया गया और सा.का.नि 805(अ) तारीख 14 नवंबर 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खंड (i) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2023

G.S.R. 195(E).—In exercise of powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force Security Wing (Subordinate Ranks) Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force Security Wing (Subordinate Ranks) Group 'B' and Group 'C' Posts (Amendment) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Industrial Security Force Security Wing (Subordinate Rank) Group 'B' and 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010, in the Schedule, against serial number 11 relating to the post of Constable (General Duty):-

(i) in Column (7), after the entries, the following Notes shall be inserted, namely:-

"**Note 1:** The upper age-limit shall be relaxable upto five years for the candidates of the first batch of Ex-Agniveers.

Note 2: The upper age-limit shall be relaxable upto three years for the candidates of Ex-Agniveers.";

(ii) in Column (8), after Note 2, the following Note shall be inserted, namely :-

"**Note 3:** Ex-Agniveers shall be exempted from Physical Efficiency Test."

(iii) in Column (11), after the entries, the following Note shall be inserted, namely:-

Note: Ten per cent of vacancies shall be reserved for Ex-Agniveers.".

[F. No. E-32012/02/2022/Estt.I]

PAUSUMI BASU, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3,Sub-section (i), *vide* G.S.R 946(E), dated 01st December, 2010, last amended, *vide* G.S.R. 805(E), dated 14th November, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA